[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 14/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. .... (अ)--केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2), धारा 3क की उपधारा (1) और उपधारा (3) तथा धारा 5क की उपधारा (1), वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 की उपधारा (3), वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 133 की उपधारा (3), वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 की उपधारा (3) और वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट विस्तार तक संशोधन करती है, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं0	अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 707(अ), तारीख 17 अक्तूबर, 2002 द्वारा प्रकाशित 52/2002-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 अक्तूबर, 2002	उक्त अधिसूचना में,-- (i) "अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विशेष महत्व अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ; (ii) "टैरिफ मद 2106 90 20 और" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ; (iii) "और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क" शब्दों का लोप किया जाएगा ; (iv) "और उक्त विशेष महत्व अधिनियम" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
2.	भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 138(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित 8/2003-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2003	उक्त अधिसूचना में,-- (i) सारणी में, क्रम सं0 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; (ii) दूसरे पैरा में,-- (क) खंड (iii) में, दोनों परंतुकों के स्थान पर,

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु इस पैरा में अंतर्विष्ट कोई बात ब्रांड नाम वाले विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माता या किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार नाम में प्रयुक्त इनपुट को लागू नहीं होगी, जो पैरा 4 के निबंधनानुसार इस छूट के प्रदान किए जाने के लिए अपात्र हैं ;”;

(ख) खंड (iv) और खंड (vii) में, परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“उपाबंध

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मदों के अंतर्गत आने वाले उत्पादशुल्क्य माल का वर्णन, अर्थात् :--

<table>
<tr><td></td><td>(1)</td><td>(2)</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td>तंबाकू, ‘हुक्का’ या ‘चिलम’ के माध्यम से धूम्रपान के लिए प्रयुक्त, टैरिफ मद 2403 10 10 के अंतर्गत आने वाले ‘हुक्का’ तम्बाकू या ‘गुड़कू’ के रूप में सामान्यत: ज्ञात</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td>टैरिफ मद 2403 10 90 के अंतर्गत आने वाले अन्य धूम्रपान तंबाकू, उनसे भिन्न, जिनका कोई ब्रांड नाम है</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii)</td><td>शीर्ष 2403 के अंतर्गत आने वाले, चबाने वाले तंबाकू, चबाने वाले तंबाकू की विनिर्मितियां और तंबाकू निष्कर्ष और सत, उनसे भिन्न, जिनका कोई ब्रांड नाम है</td></tr>
<tr><td></td><td>(iv)</td><td>2403 99 90 के अंतर्गत आने वाले, अन्य विनिर्मित तंबाकू, विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प, उनसे भिन्न, जिनका कोई ब्रांड नाम है</td></tr>
<tr><td></td><td>(v)</td><td>अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाले सभी माल”।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>3.</td><td>भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 500(अ), तारीख 4 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित 38/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4 अगस्त, 2004</td><td colspan="3">उक्त अधिसूचना में,--
(i) खंड (क) में, “ऐसा एथनोल, जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है” शब्दों के स्थान पर, “ऐसा एथनोल, जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है” शब्द रखे जाएंगे ;
(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--
‘स्पष्टीकरण 2–“समुचित केंद्रीय कर, कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर” से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा उद्ग्रहणीय केंद्रीय कर, कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर अभिप्रेत होंगे ।’।</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4.</td><td rowspan="4">भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 114(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित 3/2006-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2006</td><td colspan="3">उक्त अधिसूचना में,--
(i) आरंभिक पैरा में, “2106 90 20 या” अंकों और शब्द का लोप किया जाएगा ;
(ii) सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
“सारणी</td></tr>
<tr><td></td><td>माल का वर्णन</td><td>रकम</td></tr>
<tr><td></td><td>(1)</td><td>(2)</td></tr>
<tr><td></td><td>शीर्ष 2403 के अंतर्गत आने वाला पान मसाला, जिसमें गुटका के रूप में सामान्यत: ज्ञात तंबाकू अंतर्विष्ट है, रिटेल पैकेजों में, यदि रिटेल पैक पर फुटकर विक्रय कीमत मुद्रित है ।</td><td>फुटकर विक्रय कीमत का 50%”।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>भारत के राजपत्र, असाधारण में,</td><td colspan="3">आरंभिक पैरा में, खंड (i) का लोप किया जाएगा ।</td></tr>
</table>

	सा.का.नि. 490(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा प्रकाशित 29/2008-कैंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जुलाई, 2008	
6.	भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 885(अ), तारीख 24 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित 62/2008-कैंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.), तारीख 24 दिसंबर, 2008	उक्त अधिसूचना में,-- (i) खंड (क) में, "ऐसा एथनोल, जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसा एथनोल, जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ; (ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-- '**स्पष्टीकरण 2–**"समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा उद्ग्रहणीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर अभिप्रेत होंगे ।'।
7.	भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. 479(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009 द्वारा प्रकाशित 21/2009-कैंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 7 जुलाई, 2009	उक्त अधिसूचना में,-- (i) "बायो डीजल, जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "बायो डीजल, जिस पर, यथास्थिति, समुचित कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है" शब्द रखे जाएंगे ; (ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-- '**स्पष्टीकरण 2–**"समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और

		सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और संबंधित राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन यथा उद्ग्रहणीय केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर अभिप्रेत होंगे ।'।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं 354/119/2017-टी.आर.यू.]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार